संख्या-10/2026/I/1271946/2026/002-71-4099-645-2021

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-19.03.2026

विषयः-वित्तीय वर्ष-2025-26 में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में मेडिकल कालेज भवन,लाइब्रेरी, छात्रावास आदि भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0आई0एम0एस0/2026/315, दिनांक-20.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में मेडिकल कालेज भवन, लाइब्रेरी, छात्रावास आदि भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीलेखा पक्ष में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य हेतु रू0 2711.47 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-I/717349/2024, दिनांक -13.08.2024 द्वारा रू0 40.00 करोड़ एवं 2025-26 शासनादेश संख्या-I/1140561/202, दिनांक- 12.11.2025 द्वारा रू0 50.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत की गयी अर्थात कुल रू0 90.00 करोड़ अवमुक्त की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में मेडिकल कालेज भवन, लाइब्रेरी, छात्रावास आदि भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीलेखा पक्ष में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-31 से रू0 1993.53 लाख (रुपये उन्नीस करोड़ तिरानबे लाख तिरेपन हजार मात्र) एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 717.94 लाख (रुपये सात करोड़ सत्रह लाख चौरानबे हजार मात्र) रू0 अर्थात कुल रू0 2711.47 लाख (रुपये सत्ताईस करोड़ ग्यारह लाख सैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैः-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
4. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

5. शासनादेश संख्या-I/717349/2024, दिनांक-13.08.2024 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 19,93,53,000 (रुपये उन्नीस करोड़ तिरानबे लाख तिरेपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031051400 राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 7,17,94,000 (रुपये सात करोड़ सत्रह लाख चौरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037893300 चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र),
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।